

14 / विविध-07 / 2026

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-1126(14) दिनांक-22.04.2026 द्वारा कुल-39 मरीजों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना-801505 में चिकित्सा हेतु " मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष " से अनुदान राशि- 43,05,000/- (तेतालीस लाख पाँच हजार) की स्वीकृति दी गई है।

उक्त स्वीकृत्यादेश में टंकण भुलवश मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिये गठित प्राधिकृत समिति की बैठक की तिथि दिनांक- 08.04.2026 अंकित हो गया है। अतएव उक्त स्वीकृत्यादेश में अंकित बैठक की तिथि दिनांक- 08.04.2026 के स्थान पर दिनांक- 15.04.2026 अंकित समझा जाय।

2. स्वास्थ्य विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-1245(14) दिनांक-30.04.2026 द्वारा कुल-03 मरीजों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 में चिकित्सा हेतु " मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष " से अनुदान राशि- 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार) की स्वीकृति दी गई है।

उक्त स्वीकृत्यादेश में टंकण भुलवश मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिये गठित प्राधिकृत समिति की बैठक की तिथि दिनांक- 20.04.2026 अंकित हो गया है। अतएव उक्त स्वीकृत्यादेश में अंकित बैठक की तिथि दिनांक- 20.04.2026 के स्थान पर दिनांक- 22.04.2026 अंकित समझा जाय।

3. अतः उपरोक्त दोनों स्वीकृत्यादेश संख्या- 1126(14) दिनांक-22.04.2026 एवं 1245(14) दिनांक-30.04.2026 में अंकित बैठक की तिथि को यथासंशोधित समझा जाय।

ह० /

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना।


दिनांक- 07/5/2026

ज्ञापांक-14 / विविध-07 / 2026 1314(14)

प्रतिलिपि:- निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना-801505 / अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक प्रमुख

स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना।